न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ......गुरचरण सिंह...... बनाम ......मलकीत कौर आदि......

प्रकरण संख्या ......३५....../२०२१ अन्तर्गत धारा......२१२ RTA......

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर ... जो इस ... पालना ...
17/02/२५	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। TI की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक २१/०२/२०२५ को पेश हो।	
२१/02/२५	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई। TI की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक २५/०२/२५ को पेश हो।	
२५/2/२५	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 3/3/२५ को पेश हो।	
3/3/२५	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में तीनो बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA बाबत अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक ०८/०४/२०२१ मूलवाद के निर्णय तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर